न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 31/2017 **दायर दिनांकः 16.03.2017**

उनवान

1. बंशी आयु 80 वर्ष पुत्र ग्यारसीराम जाति नायक निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. द्रोपती आयु 50 वर्ष पुत्री रामनाथ पत्नी रामदयाल जाति नायक निवासी हरिओम बस्ती सांवरिया जी के मंदिर के पास इन्द्रजी की दुकान के सामने कोटा जिला कोटा राज0।
2. गायत्री आयु 38 वर्ष पुत्री रामनाथ पत्नी गिर्राज जाति नायक निवासी गऊघाट रोड़ के सहारे बपावर जिला बारां राज0।
3. गीता आयु 34 वर्ष पुत्री रामनाथ पत्नी ओमप्रकाश जाति नायक निवासी फूंसरा तहसील बारां जिला बारां राज0।
4. कन्या बाई बेवा रामनाथ जाति नायक निवासी गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट

उपस्थिति :—

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्री लाल नागर।

निर्णय दिनांक 10.10.2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 188 आर टी एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया था कि वाके ग्राम एवं माल काचरा तह0 अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2062 से 2065 के अनुसार खाता संख्या 216 की ख0नं0 48 रकबा 0.61 है0, ख0नं0 52 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 504 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 655/1103 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 726 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 727 रकबा 2.65 है0, कुल 6 किता रकबा 3.54 है0 भूमि तथा खाता संख्या 217 की ख0नं0 130 रकबा 0.86 है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता एवं पति रामनाथ तथा सारूबाई एवं विमला बाई के संयुक्त खाते में चली आ रही थी। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता एवं पति रामनाथ ने वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में बंटवारा किये जाने का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिसके निर्णय की पालना में पटवारी हल्का ने इजराय की पालना करते वक्त प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता एवं पति रामनाथ के हिस्से में ख0नं0 48 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 52 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 726 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 655/1103 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 727 रकबा 0.66 है0, ख0नं0 504 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 130

का रकबा 0.11 है0 कुल 7 किता रकबा 1.00 है0 भूमि में नामान्तरण दर्ज किया था। पटवारी हल्का द्वारा डिक्री में दिशायें अंकित नही होने से रामनाथ को कब्जा नहीं सम्भलाया जा सका था। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि पर वादी का ही कब्जा चला आ रहा था। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता एवं पति रामनाथ का स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 उसके वारिसान होने से उनके पक्ष में नामान्तरण तस्दीक किया जा चुका है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि पर आज भी वादी का कब्जा एवं स्वामित्व चला आ रहा है। वादी खातेदार कृषक है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता एवं पति रामनाथ को मौके पर दिशायें अंकित नहीं होने से कब्जा नही सम्भलाया जा सका था। पटवारी हल्का ने राजस्व रिकार्ड में मिन नं0 अंकित कर रखें है। लेकिन राजस्व नक्शे में मिन नम्बरान को कहीं भी नहीं दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान में भी वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि अविभाजित है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि को जबरन मुनाफा काश्त से जुपाना चाहती है तथा वादी के स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रही है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 26.02.2017 को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में कब्जा करने का प्रयास कर बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की। वादी ने प्रतिवादीगण से वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करने के लिये मना किया तो प्रतिवादीगण लडाई झगड़ा करने पर आमादा हुये तथा झूठे मुकदमें में फॅसाने की धमकी दी। प्रतिवादीगण के अवैध कृत्य को बिना सहायता न्यायालय रोका जाना सम्भव नहीं है अस्तु वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न अपने प्रतिनिधियों से करावें। प्रतिवादी का प्रतिवाद स्वीकार कर तहसीलदार अटरू से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया, तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक 1031 दिनांक 20.09.2019 से निर्णय दिनांक 13.05.2019 की पालना में विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया जिससे अभिभाषक प्रतिवादी सहमत है।

अतः वाके ग्राम एवं माल काचरा तह0 अटरू जिला बारां में मुताबिक पुराने खाता संख्या 93 के नये खाता संख्या 85 किता 7 रकबा 1.00 है0 व पुराना खाता संख्या 133 नये खाता संख्या 140 किता 7 रकबा 2.97 है0 का विभाजन वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1. वादी बंशी पुत्र ग्यारस्या, साहूबाई पुत्री ग्यारस्या हिस्सा 2/3 नटी बाई पत्नि सत्यनारायण हिस्सा 1/3 जाति नायक सा0 काचरा रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा अटरू हि0 बन्शी नटी बाई रहन एस0बी0आई0 अटरू हिस्सा साहूबाई के हिस्से में रहेगी।

खा0सं0	ख0नं0	रकबा	दिशा	किस्म
140	48	0.46	पश्चिम	बरानी 2
	52	0.07	पश्चिम	बरानी 2
	504	0.01	पश्चिम	बरानी उत्तम
	655/1103	0.04	दक्षिण	माल 2
	726	0.08	दक्षिण	बरानी 1
	727	1.99	उत्तर—पूर्व	बरानी 1
	1162/130	0.32	मध्य	बरानी 1
	किता 7	2.97 है0		

2. प्रतिवादी द्रोपती गायत्री गीता पुत्रियां रामनाथ कन्याबाई पत्नि स्व0 रामनाथ जाति नायक सा0 देह के हिस्से में रहेगी।

खा0सं0	ख0नं0	रकबा	दिशा	किस्म
85	1163/48	0.15	पूर्व	बरानी 2
	1164/52	0.03	पूर्व	बरानी 2
	1165/726	0.02	उत्तर	बरानी 1
	1166/655	0.02	उत्तर	माल 2
	1167/727	0.66	पश्चिम—दक्षिण	बरानी 1
	1168/504	0.01	पूर्व	बरानी उत्तम
	1169/130	0.11	उत्तर	बरानी 1
	किता 7	1.00		

तहसीलदार अटरू राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें। अगर उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा हो तो नियमानुसार कब्जा वादी को सम्भलाया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 31/2017

उनवान

2. बंशी आयु 80 वर्ष पुत्र ग्यारसीराम जाति नायक निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

5. द्रोपती आयु 50 वर्ष पुत्री रामनाथ पत्नी रामदयाल जाति नायक निवासी हरिओम बस्ती सांवरिया जी के मंदिर के पास इन्द्रजी की दुकान के सामने कोटा जिला कोटा राज0।
6. गायत्री आयु 38 वर्ष पुत्री रामनाथ पत्नी गिर्राज जाति नायक निवासी गऊघाट रोड़ के सहारे बपावर जिला बारां राज0।
7. गीता आयु 34 वर्ष पुत्री रामनाथ पत्नी ओमप्रकाश जाति नायक निवासी फूंसरा तहसील बारां जिला बारां राज0।
8. कन्या बाई बेवा रामनाथ जाति नायक निवासी गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X..............................

बहाजिर :–

प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्री लाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम काचरा वर्तमान खाता संख्या 133 की किता 7 कुल रकबा 2.97 है0 व खाता संख्या 93 किता 7 रकबा 1.00 है0 में दिशा अंकित कर पूर्व अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X............................ .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 10.10.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.11.15 15:09:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: